[illegible]

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारॉं

(रेस्पोडेन्ट)

किस्म प्रकरण :– अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील संख्या :– 266/2020 दि. 22-9-20

अभिभाषक अपीलांटः– श्री बालमुकुन्द गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट :– परोकार सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
2.9.2020	अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 514/2015 में अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 से अप्रसन्न होकर, अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी है। रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत किया है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की जावे एवं रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर, पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को पेश हो। अति0 जिला कलक्टर बारॉं	रिकार्ड तलब 791 2-9-20 रिकार्ड प्राप्त पूर्व में निर्णित
29.09.20	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट एवं परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि उक्त प्रकरण की इस न्यायालय में अपील पूर्व में भी प्रस्तुत की गई थी, जिसको प्रकरण संख्या 01/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 21.11.2017 से अपीलांट की अपील खारिज की गई है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा पुनः प्रस्तुत अपील में नोट प्रेस किया गया है। प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 की सत्य प्रतिलिपि के साथ वापिस भिजवायी [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर बारॉं	Not press

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.06 12:54:18 IST
Reason: SelfAttested